

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 9/2020

निर्णय दिनांक -10.06.2020

श्रीमति कैलाशीबाई पत्नि आशाराम पिता रतनलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. रामकुरी पिता नानालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. श्री कैलाश पुत्रीनानालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 32 की आराजी नं0 1840/1004 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 32 की आराजी नं0 1840/1004 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

